कार्यालय कलेक्टर, जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़)

//विज्ञापन//

क्रमांक 880/क/वि–स्था./2014. महासमुंद, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–1–91/सात–4/2014, दिनांक 22 अगस्त, 2014 के द्वारा भू–अभिलेख की स्थापना के अंतर्गत जिला महासमुंद हेतु तहसीलों के लिए स्वीकृत **"जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर"** के 10 पदों की पूर्ति संविदा नियुक्ति से किए जाने की दी गयी अनुमति के अनुसार "छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" के तहत नीचे तालिका में दर्शाए विवरण के अनुसार पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन–पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक [illegible].10.2014 तक कार्यालयीन अवधि में आमंत्रित किए जाते हैं। संविदा नियुक्ति की अवधि अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित भरती प्रक्रिया के माध्यम से पद की पूर्ति होने तक की अवधि के लिए जो भी पहले हो, मान्य होगी। विज्ञप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट "http://mahasamund.gov.in "/http.cg.nic.in/mahasamund" में देखी जा सकती है:–

<u>जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर .</u> एकमुश्त मासिक संविदा वेतन 8,290/–रू.

क्र.	विवरण.	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	कुल योग	शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1	कुल संख्या.	01	03.	01.	05.	10.	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा. (2) डॉटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग मे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
2	महिला. (30:)	–	01.	–	02.	03.	
3.	मुक्त.	01.	02	01	03	07.	
4.	योग (2+3=4)	01.	03.	01	05.	10.	

नियम व शर्तें–

1– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.

2– दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अन्य विशेष वर्गों के लिए जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वह छूट लागू रहेगी परन्तु सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। साथ ही अन्य वर्गों के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार छूट की पात्रता होगी।

3– अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा.

4– आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें.

5– अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र तथा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा.

6– अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी। आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम "जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर भू–अभिलेख शाखा हेतु" तथा अपना नाम व पता अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/–रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9"×4" के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

7– आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2014 तक **"कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला महासमुंद (छ.ग.) Pin Code 493445"** के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा. साधारण डाक से प्राप्त अथवा हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे.

8– उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी–वृद्धि की जा सकती है.

चयन प्रक्रियाः–

1–विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

2–उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अर्हताधारी अभ्यर्थियों को दक्षता/कौशल अर्थात प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को कम्प्यूटर की प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

3–अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण) व प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इस हेतु शैक्षणिक अर्हता में 60 अंक व प्रायोगिक/कौशल–दक्षता परीक्षा में 40 अंक कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे।

अन्यः– उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में निर्धारित शर्तों व नियम आदि की विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट "http://mahasamund.gov.in "/http:cg.nic.in/mahasamund" में देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
महासमुंद

जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर (भू–अभिलेख शाखा) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

प्रति,

कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)
जिला महासमुंद (छ.ग.)

फोटो स्वयं का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित

(1) आवेदित पद का नाम ____________
(2) आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ____________
(अंग्रेजी में) ____________
(3) पिता/पति का नाम ____________
(4) (अ) जन्म तिथि अंको में ____________
(ब) शब्दों में ____________
(स) दिनांक 01.01.2014 को आयु वर्ष______माह______दिन______
(5) लिंग (पुरुष/महिला) ____________
(6) शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम.	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक.	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(7) पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता ____________

(8) स्थायी पता ____________

(9) दूरभाष/मोबाईल नम्बर ____________
(10) रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (सत्यापित प्रति संलग्न करें) ____________
(11) क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव. के सदस्य है ? यदि हां तो उल्लेख करें। ____________
(12) क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है ? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) ____________
(13) क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नही ____________
(14) यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि ____________
(15) जीवित संतान की संख्या ____________
(16) यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्मतिथि ____________
(17) संलग्न प्रमाण पत्रो की सूची 1------2------3------4------5------

दिनांक :- ____________
स्थान :- ____________

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :- ____________
स्थान :- ____________

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला महासमुंद (छ.ग.)

जूनियर डॉटा एन्ट्री आपरेटर की संविदा नियुक्ति संबंधी निर्धारित शर्तो व नियम की विस्तृत जानकारी.

(1) निर्धारित आयु सीमाः– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी–

1– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

2– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.

3– आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

4– राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

5– महिला उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

महत्वपूर्ण टीपः–छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1/3, दिनांक 27.09.2013 के अनुसार सीधी भरती के पदों पर की जाने वाली भरती में केवल एक बार के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गयी है। विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। (2) आयु की गणना दिनांक 01.01.2014 के संदर्भ में की जाएगी।

(2) आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्ते/निर्देशों/जानकारीः–

1– आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.

2– आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें.

3– आयु सीमा मे छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है.

4– आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें.

5– आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा.

6– आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 10/10/2014 तक "कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), बी.टी.आई. रोड, जिला महासमुंद (छ.ग.) Pin Code 493445" के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट
से भेजना अनिवार्य होगा सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं शर्तो के अनुसार नही होंगे उस पर विचार नही किया जाएगा.

7– विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा.

8— उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी–वृद्धि की जा सकती है.

9— आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम ''जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु'' तथा आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/–रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'×4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

10— आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

11— ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

12— चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी संविदा नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

13— अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी.

14— विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार ''कलेक्टर, जिला महासमुंद'' का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा.

(3) नियुक्ति के लिए अपात्रता:–

1— कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा.

2— कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(4) संविदा नियुक्ति की अवधि.

विज्ञापित पद के लिए संविदा नियुक्ति की अवधि अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित भरती प्रक्रिया के माध्यम से पद की पूर्ति होने तक की अवधि के लिए जो भी पहले हो., मान्य होगी।

(5) चयन प्रक्रिया:–

1–विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

2–उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अर्हताधारी अभ्यर्थियों को दक्षता/कौशल अर्थात प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को कम्प्यूटर की प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

3–अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण) व प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इस हेतु शैक्षणिक अर्हता में 60 अंक व प्रायोगिक/कौशल–दक्षता परीक्षा में 40 अंक कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे।

(6) संविदा वेतन:–छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अनुसार मासिक एकमुश्त वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

(7) अन्य शर्तें:-

1-संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

2-संविदा सेवा अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नही होगी.

3-संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी।